A 2/1

FORM No-III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

प्रार्थी :– **बनाम** **अप्रार्थी :–**

सरकार दीपसिंह वगैरह

प्रकरण संख्या :: 154 **/2022**

(जी0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2022/360)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी.

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3-11-22	अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत पेश कर पुलिस थाना रोहट द्वारा प्रकरण संख्या 311/2022 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 4(एफ) (एच)7(i)(ii) पेट्रोलियम अधिनियम व 379,420,285 भादस में जब्तशुदा वाहन टाटा टेंकर वाहन नम्बर PB-11-CR-7571 मय डीजल व पेट्रोल को सुपुर्दगीनामें एवं जमानत पर छोड़ने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4-11-22 को पेश हो। **अति. जिला कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, पाली**	
4-11-22	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि पुलिस थाना रोहट के प्रकरण संख्या 311/2022 अन्तर्गत धारा धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 4(एफ) (एच)7(प)(पप) पेट्रोलियम अधिनियम व 379,420,285 भादस में जब्तशुदा वाहन टाटा टेंकर वाहन नम्बर PB-11-CR-7571 मय डीजल व पेट्रोल वास्ते सबूत अपने कब्जे में ले रखा है जिसकी पुलिस अनुसंधान में आवश्यकता नही है जब्तशुदा वाहन में भरा हुआ डीजल एवं पेट्रोल, पेट्रोल पम्प पर वितरण के लिए भरा हुआ था जिसको नियमानुसार बिल से खरीद किया गया है, जिसकी प्रति पत्रावली के सलंग्न है। वर्तमान में जब्तशुदा वाहन टाटा टेंकर वाहन नम्बर PB-11-CR-7571 मय डीजल व पेट्रोल की प्रकरण में आवश्यकता नही है, वाहन खुले में पड़ा है जिसके जनहानि होने के साथ साथ वाहन के रंग रोगन एवं मशीनरी के खराब होने का अन्देशा बना हुआ है। प्रार्थी प्रकरण के निस्तारण नही होने तक उक्त वाहन को बेचान, हस्तान्तकरण, रद्दोबदल या खुर्द बुर्द नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर उक्त वाहन को प्रार्थी अपने खर्चे से कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। इसलिए उक्त वाहन को जमानत व सुपुर्दगीनामें पर रिलीज कर प्रार्थी को सुपुर्द कराने के आदेश प्रदान करावे। उप अधीक्षक पुलिस वृत ग्रामीण पाली ने वक्त बहस कथन किया कि पुलिस अनुसंधान हेतु उक्त जब्तशुदा वाहन टाटा टेंकर एवं डीजल , पेट्रोल की आवश्यकता नही है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा टाटा टेंकर वाहन नम्बर PB-11-CR-7571 मय डीजल व पेट्रोल इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि प्रार्थी 1500000/– रूपये की जमानतनामा मय शपथ पत्र पेश करे की प्रकरण के निस्तारण नही होने	

तक उक्त वाहन को बेचान, हस्तान्तकरण, रदोबदल या खुर्द बुर्द नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर उक्त वाहन को कोर्ट में अपने खर्चे से प्रस्तुत करेगा। इस पर प्रार्थी धर्मवीर सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी हाउस नम्बर 104, वार्ड नम्बर 6 ढाणी भाकरा 11, भिवाडी (हरियाणा) ने सुपुर्दगीनामा एव 1500000/-(अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये मात्र) की जमानतनामा मय शपथपत्र पेश किया है जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया जावे, एवं थानाधिकारी रोहट के नाम तहरीर जारी हो कि जब्तशुदा वाहन संख्या टाटा टेंकर वाहन नम्बर PB-11-CR-7571 मय डीजल व पेट्रोल का किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नही होने पर वाहन स्वामी श्री धर्मवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह को बएवज रसीद सुपुर्द किया जावे। प्राप्ती रसीद इस न्यायालय को प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर कम हो।

अति. जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
पाली